27-8-19 अधिवक्ता प्रार्थी उप० अप्रार्थी संख्या 1 का नोटिस विधिवत तामील हुआ। अप्रार्थी को आवाजें लगाई गई अप्रार्थी उप० नहीं हुआ अतः अप्रार्थी सं० 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदनपत्र एकपक्षीय बहस सुनी गयी बहस व शपथपत्र पर विश्वास करते हुए चक 10 एस.एल डब्ल्यू के खाता संख्या 15/17 प० नं० 206/315 (13) बि०व० 21-1.26 खाता सं० 160/141 प० नं० 206/315 (13) बि०व० 22/2/1.26 चक 6 SLW के खाता संख्या

2

181/170 में 1.113 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा
कृषि भूमि को तफ्सील वाद तक अदालत
रूप। रहन बैय व इन्य तरीके से हस्तांतरित
नहीं करे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से बाहर हो।

उपखण्ड कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

Scanned by CamScanner